

H.J.S.
Bench-1
Link -1

H.J.S.
Bench-2
Link -2

H.J.S.
Bench-3
Link -3

L.J.S.
Bench-4
Link -4

L.J.S.
Bench-5
Link -5

L.J.S.
Bench-6
Link -6

नेशनल ई-लोक अदालत

न्यायालय:-न्यायिक दण्डाधिकारी (छ.ग.)

राज्य/प्रतिवादी

विरुद्ध

अभियुक्त/अभियुक्तगण

आवेदक/
परिवादी के
अधिन के हस्तां

आपराधिक प्रकरण क्रमांक

-: शमनीय अपराध के शमन हेतु आवेदन :-

यह कि इस प्रकरण में अभियोगी तथा अभियुक्त एक ही गांव के हैं। अतः उन्होंने शांति एवं सद्भावनापूर्वक मेलजोल बनाए रखने के लिए इस प्रकरण में राजी-खुशी से समझौता कर लिया है तथा अभियुक्त पर लगाया गया आरोप न्यायालय की बिना अनुमति से आवेदन द्वारा शमन होने योग्य हैं। आवेदकगण समझौता करने में सक्षम है तथा दोनों पक्षों में स्वेच्छा से अपराध को शमित करने का निश्चय किया है। पक्षकारागण विशेष ई-लोक अदालत के अंतर्गत विडियो कांफेंसिंग के माध्यम से राजीनामा किये जाने हेतु सहमत हैं।

अतः निवेदन है कि उभयपक्ष के बीच इस प्रकरण में समझौता हो जाने के कारण अब इस प्रकरण में अपराध को शमित कर अभियुक्त/अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

आवेदक/
परिवादी के
हस्तां

अभियुक्त के
अधिन के हस्तां

प्रार्थी/प्रार्थिया का मोबाईल नं०.....

प्रार्थी/प्रार्थिया के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी.....

आरोपी का मोबाईल नं०.....

आरोपी के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी.....

// आदेश //

अभियुक्त के
हस्ताक्षर

(लोक अदालत खण्डपीठ द्वारा पारित अवार्ड/आदेश)

हस्ताक्षर सदस्यगण :-

हस्ताक्षर-

सदस्य क्रमांक-1.....

(पीठसीन अधिकारी)

सदस्य क्रमांक 2.....

H.J.S.
Bench-1
Link -1

H.J.S.
Bench-2
Link -2

H.J.S.
Bench-3
Link -3

L.J.S.
Bench-4
Link -4

L.J.S.
Bench-5
Link -5

L.J.S.
Bench-6
Link -6

नेशनल ई-लोक अदालत

न्यायालय: न्यायिक दण्डाधिकारी.....(छ.ग.)

राज्य/परिवादी

// विरुद्ध //

अभियुक्त

आवेदक/
परिवादी के अधिक
के हस्तांत

धारा 320 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराध के शमन की अनुमति हेतु आवेदन

उपर्युक्त परिवादी निम्नानुसार आवेदन करता है कि :-

1/ यह कि इस प्रकरण के अभियुक्त/गण से अपने संबंध मध्यर बनाये रखने के लिए इस दाण्डिक प्रकरण में अपराध का शमन करना चाहता है।

2/ आज लोक अदालत के सुलहकर्ताओं ने उभय पक्षकारों को सुनकर दोनों पक्षों के बीच भविष्य में अच्छे संबंध पुनः स्थापित किये जाने हेतु अपराध का शमन करने की सलाह दी है, जिससे उभय पक्षकार सहमत हो चुके हैं। बिना किसी दबाव के पक्षकारों के बीच कोई द्वेष या मनमुटाव नहीं रह गया है।

3/ यह कि हम पक्षकारगण विशेष ई-लोक अदालत के अंतर्गत विडियो कांफेसिंग के माध्यम से राजीनामा किये जाने हेतु सहमत हैं।

चूंकि अपराधों में न्यायालय की अनुमति बिना अपराध का शमन नहीं हो सकता है। अतः प्रार्थना है कि उपर्युक्त परिरि�थितियों में इस दाण्डिक प्रकरण में अपराध के शमन की अनुमति पक्षकारों को प्रदान की जाये।

प्रार्थी/प्रार्थिया का मोबाइल नं०.....
प्रार्थी/प्रार्थिया के अधिवक्ता का मोबाइल नं० एवं ई-मेल आईडी
आरोपी का मोबाइल नं०.....
आरोपी के अधिवक्ता का मोबाइल नं० एवं ई-मेल आईडी

आवेदक/
परिवादी के हस्तांत

अभियुक्त के
अधिक के हस्तांत

अभियुक्त के
हस्ताक्षर

// अवार्ड //

(लोक अदालत खण्डपीठ द्वारा पारित अवार्ड)

हस्ताक्षर सदस्यगण :-

सदस्य कमांक-1.....

सदस्य कमांक 2.....

हस्ताक्षर-

(पीठासीन अधिकारी)

H.J.S.
Bench-1
Link -1

H.J.S.
Bench-2
Link -2

H.J.S.
Bench-3
Link -3

L.J.S.
Bench-4
Link -4

L.J.S.
Bench-5
Link -5

L.J.S.
Bench-6
Link -6

नेशनल ई-लोक अदालत

लोक अदालत खण्ड पीठ क्रमांक - 1

न्यायालय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

1.

2.

3.

आवेदकगण

// विरुद्ध //

1.

2.

3.

अनावेदकगण

मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक

राजीनामा आवेदन-पत्र

आवेदक/आवेदकगण ने इस प्रकरण की दुर्घटना में श्री की मृत्यु/आहत होने बाबत रूपये की क्षतिपूर्ति धन पाने हेतु यह आवेदन, अनावेदकगण के वि रुद्ध प्रस्तुत किया गया होकर लम्बित है।

इस प्रकरण में आवेदक/आवेदकगण ने अनावेदक क्रमांक से स्वेच्छापूर्वक राजीनामा कर लिया है। जिसकी शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1/ अनावेदक क्रमांक आवेदक क्रमांक को क्षतिपूर्ति धन की रकम रूपये अक्षरी अदा करेंगे, जिसमें वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क भी सम्मिलित हैं।

2/ अनावेदक अवार्ड की राशि आज दिनांक से 60 दिन की अवधि में न्यायालय में जमा करावेंगे अन्यथा क्षतिपूर्ति राशि पर आज दिनांक से अदायगी दिनांक तक प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण व्याज देय होगा।

3/ आवेदक/आवेदकगण अन्य अनावेदकगण से कोई सहायता नहीं चाहते हैं। अतः उनके विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जावे। हम पक्षकारण के द्वारा विशेष ई-लोक अदालत के अंतर्गत विडियो कान्फेसिंग के माध्यम से राजीनामा किए जाने हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

आवेदक का मोबाइल नं.....
आवेदक के अधिवक्ता का मोबाइल नं० एवं ई-मेल आईडी
अनावेदक/गण का मोबाइल नं०
अनावेदक/गण के अधिवक्ता का मोबाइल नं० एवं ई-मेल आईडी

// अवार्ड //
(लोक अदालत खण्डपीठ द्वारा पारित अवार्ड)

आवेदक/ परिवारी
के अधिको के
हस्तां

आवेदक/ परिवारी
के हस्तां

अनां के अधिको के
हस्तां

अनां के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर सदस्यगण :—
सदस्य कमांक-1
सदस्य कमांक 2

हस्ताक्षर—
(पीठासीन अधिकारी)

**Link of
Family Court-1**

**Link of
Family Court-2**

**Link of
Labour Court**

कुटुम्ब न्यायालय / श्रम न्यायालय हेतु

नेशनल ई-लोक अदालत समझौतानामा

लोक अदालत खण्डपीठ कमांक..... दिनांक.....

1/ पक्षकारों के नाम :

आवेदक / परिवारी
के अधिकारी के
हस्ताक्षर

2/ प्रकरण कमांक :

आवेदक / परिवारी
के हस्ताक्षर

3/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :

3/ यह कि हम पक्षकारगण विशेष ई-लोक अदालत के अंतर्गत विडियो कांफेंसिंग के माध्यम से राजीनामा किये जाने हेतु सहमत हैं।

अनांग के अधिकारी
के हस्ताक्षर

आवेदक का मोबाइल नं०.....

आवेदक के अधिवक्ता का मोबाइल नं० एवं ई-मेल आईडी

अनावेदक का मोबाइल नं०.....

अनावेदक के अधिवक्ता का मोबाइल नं० एवं ई-मेल आईडी

अनांग के हस्ताक्षर

// आदेश //

(लोक अदालत खण्डपीठ द्वारा पारित अवार्ड/आदेश)

हस्ताक्षर सदस्यगण :-

सदस्य कमांक-1.....

हस्ताक्षर-

(पीठासीन अधिकारी)

सदस्य कमांक 2.....

H.J.S.
Bench-1
Link -1

H.J.S.
Bench-2
Link -2

H.J.S.
Bench-3
Link -3

L.J.S.
Bench-4
Link -4

L.J.S.
Bench-5
Link -5

L.J.S.
Bench-6
Link -6

नेशनल ई-लोक अदालत
(प्री-लिटिगेशन के प्रकरणों हेतु)

(बैंक / बिजली / टेलीफोन / अन्य मामलों से उद्भूत वसूली के प्रकरण)

लोक अदालत खण्डपीठ कमांक दिनांक

प्रकरण कमांक :

आवेदक/
परिवारी के
अधिकारी के हस्ताक्षर

आवेदक / परिवारी

विरुद्ध

अनावेदक / उत्तरवादी

आवेदक/
परिवारी के हस्ताक्षर

आवेदक निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करता है :-

अनावेदक के अधिकारी
के हस्ताक्षर

उपर दिये गये तथ्यों के आधार पर माननीय खण्डपीठ से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार विडियो कॉर्फेसिंग के माध्यम से समझौता का निर्धारण कर प्रकरण का निराकरण कर दिया जाये।

अनावेदक का मोबाइल नं.

आवेदक के अधिवक्ता का मोबाइल नं. एवं ई-मेल आईडी

अनावेदक का मोबाइल नं.

अनावेदक के अधिवक्ता का मोबाइल नं. एवं ई-मेल आईडी

// आदेश //

(लोक अदालत खण्डपीठ द्वारा पारित अवार्ड / आदेश)

हस्ताक्षर सदस्यगण :-

सदस्य कमांक-1

सदस्य कमांक 2

हस्ताक्षर-

(पीठासीन अधिकारी)

H.J.S.
Bench-1
Link -1

H.J.S.
Bench-2
Link -2

H.J.S.
Bench-3
Link -3

L.J.S.
Bench-4
Link -4

L.J.S.
Bench-5
Link -5

L.J.S.
Bench-6
Link -6

व्यवहार वाद हेतु

नेशनल ई-लोक अदालत समझौतानामा

लोक अदालत खण्डपीठ कमांक..... दिनांक.....

1/ व्यवहार वाद कमांक :

2/ पक्षकारों के नाम :

वादी के अधिकारी के हस्ताक्षर

3/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :

प्रतिवादी के हस्ताक्षर

4/ सुलहनामा की शर्त :

वादी के अधिकारी के हस्ताक्षर

यह कि हम पक्षकारगण विशेष ई-लोक अदालत के अंतर्गत विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से राजीनामा किये जाने हेतु सहमत हैं।

अतः निवेदन है कि उभयपक्ष के बीच इस प्रकरण में आपसी समझौता हो जाने के कारण अब प्रकरण को समाप्त कर दिया जावे।

प्रतिवादी के हस्ताक्षर

आवेदक का मोबाईल नं०.....

आवेदक के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी

अनावेदक का मोबाईल नं०.....

अनावेदक के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी

// आदेश //

(लोक अदालत खण्डपीठ द्वारा पारित अवार्ड/आदेश)

हस्ताक्षर सदस्यगण :-

सदस्य क्रमांक-1.....

सदस्य क्रमांक 2.....

हस्ताक्षर-

(पीठासीन अधिकारी)